

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या 2240 VII-1/2018/1(13)/18
देहरादून, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञाप



जनपद पिथौरागढ़, तहसील मुनस्यारी के ग्राम बजेता में कुल 17.967 हे० भूमि में उप खनिज सोपस्टोन का खनन पट्टा प्राप्त है। जे०डी० मिनरल्स प्रो० राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र स्व० श्री नन्दन सिंह दफौटी, बी-54, जज फार्म, छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के आवेदन पत्र जो जिलाधिकारी कार्यालय में दिनांक 10.8.2017 को प्रस्तुत किया गया, के क्रम में इस आवेदन पत्र (Letter of Intent) के माध्यम से राज्य सरकार में जे०डी० मिनरल्स प्रो० राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र स्व० श्री नन्दन सिंह दफौटी, बी-54, जज फार्म, छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में जनपद पिथौरागढ़, तहसील मुनस्यारी के ग्राम बजेता में कुल 17.967 हे० भूमि में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 (यथासंशोधित 2017) के प्रावधानानुसार उपखनिज सोपस्टोन का 50 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने की मंजूरी दी है। आवेदक यदि उक्त खनन पट्टा लेने हेतु सहमत हों तो निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन पत्र प्राप्त के छ माह में प्रस्तुत करें, जिससे खनन पट्टे की औपचारिक स्वीकृति जारी की जा सके :-

1. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015, यथासंशोधित, 2017 के नियमों/प्रतिबन्धों पर लिखित सहमति पत्र।
2. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रसार 3(दो)(5) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन योजना संबंधित खाग अधिकारी/उप निदेशक (खनन) के समक्ष ₹ 20,000/-की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराने के उपरान्त चालान की प्रति के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
3. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रसार-3(ग्यारह) में शासनादेश संख्या-1589/VII-1/2015/68-ख/2015, दिनांक 7 अक्टूबर 2015 के द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार, बैंक गारन्टी ₹ 1.00 लाख मैनुअल माईनिंग एवं ₹ 2.00 लाख मशीनीकृत माईनिंग हेतु निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी।
4. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रसार-7 के अनुसार पट्टाधारक को खनन पट्टे में पर्यावरण, का एव पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय मासा संरक्षण की अधिसूचना कां०आ० 2601 (अ) दिनांक 07 अक्टूबर 2014 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-1621/VII-1/212-ख /2014, दिनांक 17 दिसम्बर 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
5. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रसार-8 के अनुसार आवेदक को प्रतिभूति धनराशि ₹ 10,000/- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में बन्धक करना होगा।
6. आवेदक को खनन पट्टे का जी०एस०टी० नम्बर देना अनिवार्य होगा।
7. राजस्व विभाग द्वारा निजी भूमि धारकों की सूची खसरा विवरण सहित साफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी ए-4 साईज में निदेशालय एवं शासन को तपलब्ध करायी जायेगी।
8. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।
9. आवेदक खनन कार्य के दौरान स्थल में उपलब्ध सार्वजनिक सम्पत्ति, आवासीय भवन, सार्वजनिक स्थल भवन आदि को हानि नहीं पहुँचायेगा। हानि पहुँचाने की स्थिति में पट्टाधारक स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व आवेदक का होगा।
11. प्रस्तावित क्षेत्र का सीमाबन्धन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग तथा प्रभागीय पंचायिकाधी शिथौरागढ़ वन प्रभाग के प्रतिनिधि के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। सीमाबन्धन के समय यदि क्षेत्र का कोई भाग आपतितजनक पाया जाता है तो उसे पृथक कर दिया जायेगा, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र अथवा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह आवेदक को मान्य होगा।

Handwritten signature

प्रभारी जिलाधिकारी
भू-तत्व एवं खनिकर्म इकाई
सद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
जिला तहसील कार्यालय
पिथौरागढ़

Handwritten signature

ATTESTED -2
12/10/18
PANKAJ PANDE
पं०सं०/RQM/DDN/04/2016

12. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1457/VI-1/2017/68-ख/15, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के सिन्धु स्टा (टीन/का/2) के अनुसार आशय पत्र की समस्त शर्तों को पूर्ण किया जाने के पश्चात् निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की स्पष्ट संरुति पर शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जाएगा, परन्तु पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ सम्बन्धी शर्तों की सहायि/अनुमति के उपरान्त ही किया जायेगा।
13. आवेदक को खनन एवं राजकीय बकाया न होने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निवेदित प्रमाण अथवा अदेयता प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक को आयकर/आयकर विवरणी जमा करा दिये जाने के संबंध में आयकर अधिकारी का अद्यतन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आयकर देय नहीं हो तो इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

गरिमा रौकली
संयुक्त सचिव

संख्या: 2248 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या 1371/मु०स०/144/बा००/मु०खनि०/2017-18, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 के सन्दर्भ में सूचनाएं एवं निम्न निर्देशों के साथ कि उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित, 2017 के प्राधानानुरूपत समन पट्टा हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें -
(क) इस आदेश द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का सीमाबन्धन प्रत्येक दशा में इस आदेश की दिनांक से 60 दिवस में करा लिया जाय ताकि समवानामता पट्टाधारक द्वारा पट्टाविलेख का निष्पादन कराया जा सके।
(ख) खनन पट्टा क्षेत्र के सीमाबन्धन की सूचना मध्य सीमाबन्धन रिपोर्ट, मानचित्र आदि के सीमाबन्धन पूर्ण किये जाने की दिनांक से 10 दिवस में शासन को प्रेषित कर दी जाये।
(ग) सीमाबन्धन रिपोर्ट में यह प्रमाण पत्र अवश्य दिया जाये कि खनन पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र में सम्मिलित वन भूमि के अलावा कोई अन्य वन भूमि खनन पट्टा हेतु सीमाबन्धित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की गई है तथा सीमाबन्धित क्षेत्र की परिधि से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर है।
- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- श्री० जे०डी० गिनरत्स प्रो० राजेन्द्र सिंह दफौटी पुत्र स्व० श्री नन्दन सिंह दफौटी, की-54, जज फार्म, छोटी मुखानी, इल्दानी, जनपद नैनीताल।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव

Pandey

प्रभारी अधिकारी

भू-तत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
जिला टारक पोर्स कार्यालय
पिथौरागढ़

Pandey

ATTESTED

12/11/18

PANKAJ PANDE

3000/RQ+/DUN/04/2016